

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

संचिका सं०-09/उपा० कीट०(विविध)-13/2014

3861

कृ० पटना, दिनांक 28-9-2020

प्रेषक,

कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

Govt of Bihar  
Directorate of Agriculture



सेवा में,

- (i) राज्य के सभी कीटनाशी विनिर्माता/फॉर्मुलेटर ।
- (ii) राज्य के सभी कीटनाशी विपणनकर्ता ।

विषय :- कीटनाशी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 के सम्यन्ध में।

प्रसंग :- भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग ii खण्ड-3 उपखण्ड i, नई दिल्ली, शुक्रवार 05 जून- 2020/ज्येष्ठ 15, 1942 अधिसूचना 04 जून 2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन राजपत्र के आलोक में जारी अधिसूचना के द्वारा कीटनाशियों के पैकिंग एवं लेबेलिंग से सम्बन्धित कीटनाशी नियम 1971 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। इसे कीटनाशी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 कहा गया है। कीटनाशी के पैकिंग एवं लेबेलिंग से सम्बन्धित किये गये आवश्यक संशोधन के राजपत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः संशोधन के अनुरूप कीटनाशियों की पैकिंग एवं लेबेलिंग करना सुनिश्चित किया जाए। यह राजपत्र के प्रकाशन की तिथि 05 जून 2020 से प्रभावी है। संशोधन के अनुरूप पैकिंग एवं लेबेलिंग नहीं करने की स्थिति में कीटनाशी अधिनियम 1968/नियम 1971 के सुसंगत धारा/नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रस्ताव में माननीय कृषि मंत्री, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

80

कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 09/उपा० कीट०(विविध)-13/2014 3861 /कृ०, पटना, दिनांक 28-9-2020

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक पौ०सं० बिहार, पटना/प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शथ्य) बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक पौ० सं०/सभी सहायक निदेशक पौ०सं०/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25-09-2020

कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।